भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3126
दिनांक 20 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों का प्रभाव

3126 श्रीमती संगीता यादवः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों की कुल कितनी राशि संवितरित की गई;

(ख) क्या मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लाभार्थी राज्यों में आयोग के अनुदानों के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं से सीधे प्रभावित परिवारों या व्यक्तियों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी लाभार्थी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आयोग के अनुदानों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल)

(क) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत अब तक कुल 37787.97 करोड़ रुपये वितरित/जारी किए जा चुके हैं।

(ख) जी नहीं, महोदय।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारों को राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तर पर समवर्ती निगरानी के लिए एक पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। अप्रैल 2020 में, मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज वेब पोर्टल (https://egramswaraj.gov.in) की शुरूआत की, जो पंचायतों के सभी वित्तीय कार्यों - योजना से लेकर भुगतान तक को एकीकृत करता है। इस प्रणाली से प्राप्त प्रगति के आंकड़े (प्रोग्रेस डेटा) को निगरानी के लिए पोर्टल पर दर्शाया जाता है।

राज्य, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग की व्यवस्थित निगरानी के लिए ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके योजना मॉड्यूल के माध्यम से, राज्य यह ट्रैक करते हैं कि पंचायती राज संस्थाएँ अपनी विकास योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं को कैसे शामिल करती हैं, जिससे बजटीय प्रावधानों के साथ समन्वय सुनिश्चित होता है। प्रगति रिपोर्टिंग मॉड्यूल, अनुदान-वित्त पोषित गतिविधियों से संबंधित भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है, जबकि लेखा मॉड्यूल, वित्तीय लेनदेन और व्यय पैटर्न की विस्तृत ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है। ये सभी सुविधाएँ मिलकर राज्यों को अनुदान उपयोग की व्यापक समझ प्रदान करती हैं, जिससे संसाधनों का अधिक प्रभावी और पारदर्शी आवंटन और प्रबंधन संभव होता है।

पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए ई-ग्राम स्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया है, जिससे विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन की ऑनलाइन ऑडिटिंग को सक्षम बनाने के लिए अप्रैल 2020 में ऑडिटऑनलाइन एप्लिकेशन लॉन्च किया गया था। यह टूल केंद्रीय वित्त आयोग के धन के पारदर्शी उपयोग में सहायता करता है और पंचायत-स्तरीय वित्तीय निगरानी को मज़बूत करता है।
